20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/6236

रामस्वरूप पुत्र श्री शंकर लाल चतुर्वेदी
निवासी – झिन्ना तहसील लवकुश
नगर जिला – छतरपुर (म.प्र.)
.... आवेदक

विरूद्ध

हरिमोहन पुत्र श्री रामप्रसाद चतुर्वेदी
निवासी – झिन्ना तहसील लवकुश
नगर जिला – छतरपुर (म.प्र.)
.......अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार पठा तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 109/अ6अ/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, मौजा झिन्ना में स्थित भूमि खसरा नं. 238/1/1 रकवा 0.405 है0 के संबंध में अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया कि अनावेदक के मृतक पिता रामप्रसाद पुत्र किशुन प्रसाद के स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि है। जिसपर उसके पिता द्वारा अपने जीवनकाल तक कृषि कार्य किया है और उसके पश्चात् अब अनावेदक द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेख में आवेदक के स्थान पर अनावेदक का नाम दर्ज किया जाये।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/6236 रामस्वरूप विरूद्ध हरिमोहन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक की ओर अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 109/अ6अ/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 11-12-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध	

म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

30.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य